

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) 📠(फैक्स) 07766-266740 ✉E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि./2018/ 417
प्रति,

/धरमजयगढ़, दिनांक 15/3/2018

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Division of 185.017 Ha. Of forest land for Chhal OC seam III 6 MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh – Regarding.**
पंजीयन क्रमांक :-FP/CG/MIN/16237/2015

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पृ.क./भू-प्रबंध/खनिज/331-222/523 दिनांक 19.02.2018
आवेदक संस्थान एस.ई.सी.एल. छाल का पत्र क्रमांक/1259 दिनांक 04.02.2018

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित के तारतम्य में प्रतिवेदन है कि आवेदक संस्थान SECL Chhal खुली खदान द्वारा प्रकरण में 01 से 05 बिन्दुओं की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	बिन्दु की जानकारी
1	मांड नदी का HFL सी.डी. में .kml फाईल में दर्शित हो।	मांड नदी की नदी के किनारे से लगी हुई है। को दर्शाती (आसमानी रंग में) फाईल संलग्न है। सी.डी. सहित।
2	पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन संबंधी लागू नियम/कानून के अन्तर्गत खनन का कार्य नदी के HFL से कितनी दूरी पर किया जाना है इसका विवरण आवेदक संस्थान से प्राप्त करें।	(I) DGMS के पत्र क्र. RGR/Chhal/P-107(1)/37/2015/2396-99/Raigarh, Dated 16.09.2015 (Annexure – II. P-1 to 3) एवं पत्र क्र.-RGR/Chhal/P-98(1) & (3)/ 72/ 2015/ 3265-67, Raigarh, Dated 17.12.2015 (Annexure – III. P-1 to 2) के अनुसार :- Existing embankment, atleast 3.0 mtr. wide at the top and atleast 3.0 mtr. higher than the HFL, with side sloping not exceeding 45° from the horizontal shall be provided and kept maintained against Mand river and shall be extended up to 898900N in south-west side of the mine in such a way that it is not affected by the proposed extraction. The side of the embankment facing the Mand river shall be pitched with stone,bricks etc. and A solid barrier of not less than 120 m shall be left un-extracted against the Mand river.

		(II) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र No. J-11015/1000/2007-IA.II(M) dt. 27 April, 2010 (Annexure – IV. P-1 to 6) के तहत जारी किए गए पर्यावरण स्वीकृति (संलग्न) का विशेष सर्त की कंडिका क्रं.-(ii) के अनुसार :- Mining shall be carried out as per statute at a safe distance from the surface water bodies flowing in and near the mine lease/project area. The plan for modification of the natural surface drainage by construction of an embankment shall be done in consultation and approval of the concerned State Flood and Irrigation department. Embankment to be constructed shall be based on peak flow data and shall be atleast 3 mtr. above the HFL. The slope of embankment shall atleast 2:1 towards the ML and shall be stabilized with plantation. (III) Chhal OC Seam-III 6 MTY project का प्रोजेक्ट रिपोर्ट (माइनिंग प्लान संलग्न) के अनुसार मांड नदी के पूर्वी तट से 60 मीटर के बेरियर रखे जाने का प्रावधान रखा गया है।(Annexure – V. P-1 to 1)
3	बिन्दु क्रमांक 2 पालन में खनन का कार्य नदी से कितनी दूरी तक छोड़कर किया जायेगा यह जानकारी आवेदक संस्थान उपलब्ध करावें।	बिन्दु क्रमांक 02 के परिपालन में खनन कार्य नदी किनारे से 120 मीटर की दूरी छोड़कर किया जाएगा। Expansion क्षेत्र के लिए Coal Mining Regulation 1957(2017) के तहत permission के अनुसार Barrier छोड़ा जावेगा।
4	नदी से उक्त दूरी छोड़कर सीमा सी.डी. में .kml फाईल में दर्शित हो।	नदी के उक्त सीमा (नीले रंग में) का दर्शाते हुए 120 की चौड़ी पट्टी के Polygon को दर्शाते हुए .kml फाईल संलग्न है। उसके अनुसार 120 मी. पट्टी का क्षेत्रफल करीब 53 हे. है। जिसमें किसी भी प्रकार वन भूमि शामिल नहीं है। उक्त पट्टी में कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा। बल्कि नदी के प्रवाह से खदान की सुरक्षा हेतु Embankment, Road आदि बनाया जाएगा।
5	HFL से Embankment की ऊंचाई क्या रहेगी?	पर्यावरण स्वीकृति /खनन संबंधी लागू नियम /कानून के अनुसार Embankment की ऊंचाई HFL से कम से कम 3 मीटर ऊपर रहेगी।

अतः प्रकरण में चाही गई बिन्दु क्रमांक 01 से 05 की जानकारी सी. डी. सहित 04 प्रतियों में आपकी ओर संलग्न सादर सम्प्रेषित है।
संलग्न :- 04 प्रतियों में सी.डी. सहित।

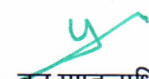

वन मण्डलाधिकारी
 धरमजयगढ़ वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./2018/ 418

/धरमजयगढ़, दिनांक 15/3/2018

प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर को उनके पृ. क्रमांक/ 331-222/523 दिनांक 19.02.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- (2) उप महाप्रबंधक, साउथ इस्टर्न कोल फोल्डस लिमिटेड छाल उपक्षेत्र SECL नावापारा, छाल जिला- रायगढ़ (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वन मण्डलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमण्डल